# राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनिपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक – काउन्सलिंग / सत्र(2020–21) / 53 दिनांक : 10-05-2021

## अंतरिम वरीयता सूची

राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता / संबद्धता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय / संस्थानों में विभिन्न पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 03.02.2021 से 23.04.2021 तक आमंत्रित किये गये थे। जिसमें कुल 10869 आवेदन–पत्र सफलतापूर्वक ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त हुये है।

प्राप्त कुल 10869 आवेदन–पत्रों के आधार पर सत्र 2020–21 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक – 28 दिनांक 28.01.2021 के बिंदु संख्या 8(i) के अनुसार समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी अनुसार अतंरिम वरीयता सूची वेबसाईट पर जारी की जाकर आवेदकों से आपात्तियाँ आमंत्रित की जा रही है।

वेबसाईट पर प्रकाशित अंतरिम वरीयता सूची पर अगर किसी भी आवेदक को कोई भी आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति से संबंधित विवरण एक प्रार्थना–पत्र पर लिखकर एवे उसकें साथ आपत्ति के निराकरण से संबंधित दस्तावेज लगाकर कौंसिल की इ–मेल आइडी rpmc.helpdesk@gmail.com पर विषय में Objection in Meril List लिखकर दिनांक 24.05.2021 तक प्रेषित कर दे।

कोविड – 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अंतरिम वरीयता सूची में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदक द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए केवल उन ही आवेदको का ऑनलाईन आवेदन –पत्र पुनः खोला जायेगा जिनकी आपत्तियों को कौंसिल के द्वारा सही माना जायेगा और जिनके आवेदन–पत्र में सुधार की आवश्यकता होगी।

आवेदन–पत्र में सुधार के लिए दिनांक एवं समय विभाग की वेबसाईट, आवेदक के आवेदन फार्म में दिये गये ई–मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर प्रेषित कर दिये जायेगें। तय दिनांक व समय को आवेदक अपनी एसएसओ आईडी(जिससे आवेदन किया है) से लॉगिन कर एचटीई ऑनलाईन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन क्रमांक(RPC-20.....) लिखकर अपने मोबाईल नम्बर को ऑटीपी के जरिये वेरिफाई करवाकर अपने आवेदन–पत्र में आपत्ति से संबंधित सुधार कर आवेदन–पत्र को पुनः फाईनल सबमिट कर सकता है।

यहाँ यह ध्यान रहे की आवेदन–पत्र में सुधार का मौका तय दिनांक व समय पर केवल एक बार ही दिया जायेगा और एक बार फाईनल सबमिट करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में पुनः संशोधन का मौका नहीं दिया जायेगा। अगर किसी आवेदक के द्वारा फाईनल सबमिट नहीं किया जाता है तो पूर्व में भरे गये आवेदन–पत्र को ही सही मानकर काउन्सलिंग में शामिल कर लिया जायेगा।

रजिस्ट्रार